कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 28.07.2026

थाना सुल्तानपुर घोष पुलिस द्वारा थाना सुल्तानपुर घोष एवं थाना खागा क्षेत्र में मोटर साइकिल की चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की दो मोटर साइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

1.थाना सुल्तानपुर घोष-

दिनांक 22.07.2026 को वादी महमूद अहमद पुत्र कबूल अहमद निवासी नगियामई, थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सुल्तानपुर घोष पर तहरीरी सूचना दी कि एरायां मशायाक में आम का बाग ले रखा है। दिनांक 21.07.2026 को बारिश होने के कारण प्रार्थी अपनी मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट रजिस्ट्रेशन संख्या UP73M-2615 को ग्राम बहेरा चौकी स्थित शिवशंकर मौर्य की पान मसाला की दुकान के बाहर खड़ी कर दुकान में सो गया था। रात्रि करीब 10:00 बजे नींद खुलने पर देखा कि उसकी मोटरसाइकिल मौके से गायब थी, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना सुल्तानपुर घोष पर मु0अ0सं0 99/2026 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

2. थाना खागा-

दिनांक 22.06.2026 को थाना खागा पर वादी जंगबहादुर सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रशेखर सिंह निवासी बरकतपुर, हाल मुकाम रामनगर खागा, जनपद फतेहपुर का निवासी है। प्रार्थी के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए आवश्यक सामान बाजार से लेकर प्रार्थी अपने घर रामनगर खागा पहुंचा और अपनी मोटरसाइकिल घर के पास खड़ी कर अंदर चला गया। पुनः समय करीब 04:00 बजे बाजार जाने के लिए बाहर आया तो देखा कि उसकी मोटरसाइकिल मौके पर नहीं थी। प्रार्थी की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर रजिस्ट्रेशन संख्या UP71-AA-6412 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना खागा पर मु0अ0सं0 219/2026 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी खागा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सुल्तानपुर घोष पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.07.2026 को उपरोक्त अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही, सुरागसी-पतारसी एवं मुखबिर खास की सूचना पर प्रकाश में आए एक शातिर अभियुक्त राम सिहं उर्फ नंगू यादव पुत्र वासुदेव यादव उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम देवारा थाना सु0घोष जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटरसाइकिल UP73M2615 हीरो इस्पलेन्डर आई स्मार्ट, 01 मोटर साइकिल नं0 UP71AA6412 सुपर स्पलेन्डर बरामद हुई। बरामदगी एवं पूछताछ पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को आज दिनांक 28.07.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्त से पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने बताया कि वह सुनसान स्थानों पर खड़ी बिना लॉक की अथवा मौका पाकर मोटरसाइकिलों को चोरी कर लेता था तथा अपनी जरूरतों एवं नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाएं करता था। अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 21.07.2026 को ग्राम बहेरा चौकी क्षेत्र से मोटरसाइकिल नं0 UP 73 M 2615 हीरो स्प्लेन्डर आई स्मार्ट चोरी की थी, इसके अतिरिक्त करीब एक माह पूर्व कस्बा खागा से मोटरसाइकिल नं0 UP 71 AA 6412 सुपर स्प्लेन्डर चोरी की थी, जिसे पहले महन्ना के जंगल में छिपाकर रखा था तथा बाद में चौकी चौराहा स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके के पीछे खाली प्लाट में छिपा दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर दोनों चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. राम सिहं उर्फ नंगू यादव पुत्र वासुदेव यादव उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम देवारा थाना सु0घोष जनपद फतेहपुर।

बरामदगी का विवरण-

1. 01अदद मोटरसाइकिल UP 73 M 2615 हीरो इस्पलेन्डर आई स्मार्ट

2. 01 अदद मोटर साइकिल नं0 UP 71 AA 6412 सुपर स्पलेन्डर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 84/2011 धारा 379/411 भादवि थाना सु0घोष जनपद फतेहपुर।
2. मु0अ0सं0 99/2026 धारा 303(2),317(2) वीएनएस थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।
3. मु0अ0सं0 219/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खागा जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. निरीक्षक श्री तेजबहादुर सिंह प्रभारी थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर।
2. उ0नि0दिलीप यादव
3. हे0का0 यज्ञनारायण यादव
4. हे0का0 आनन्द यादव
5. हे0का0 दीपक कुमार
6. रि0का0 शुभम यादव

सोशल मीडिया सेल

जनपद फतेहपुर